WWW.LIVELAW.IN

प्रेस नोट

विषयः– अजमानतीय अपराध किये जाने के अभियोग में गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत(Anticipatory Bail)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अग्रिम जमानत से संबंधित धारा 438 को दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम–1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1976) द्वारा निकाल दिया गया था। इसे पुनःप्रवर्तित किऐ जाने की निरन्तर मांग हो रही थी। उत्तर प्रदेश में इसे पुनःप्रवर्तित किये जाने के लिए मा0 न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं भी दाखिल की जाती रही हैं। राज्य विधि आयोग द्वारा अपनी तृतीय रिपोर्ट, 2009 में भी उक्त धारा के उपबन्धों को पुनःप्रवर्तित करने की सिफारिश की गयी थी। उक्त धारा के उपबन्धों के पुनःप्रवर्तन पर विचार करने की दृष्टि से प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। जिसके द्वारा यह सिफारिश की गयी कि उक्त धारा के उपबन्धों को कतिपय उपान्तरणों सहित पुनःप्रवर्तित किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि कतिपय उपान्तरणों सहित धारा 438 के उपबन्धों को पुनःप्रवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाय।

तत्क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 राज्य विधान मण्डल से पारित कराकर महामहिम राष्ट्रपति महादेय को अनुमति हेतु प्रेषित किया गया था। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उक्त संशोधन अधिनियम पर दिनांक 01 जून, 2019 को अनुमति प्रदान कर दिया गया है।

उक्त संशोधन अधिनियम को विधायी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 06 जून, 2019 को प्रकाशित करा दिया गया है। इस प्रकार उक्त संशोधन अधिनियम दिनांक 06 जून, 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है।

E:\Data Police-9\lakshmikant mishra RO Note 7921

Scanned with CamScanner